



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20586

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40262 वर्ष 2025

राम प्रकाश पाल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सुधांशु श्रीवास्तव, तान्या मक्कर

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

यह दूसरी जमानत याचिका है।

आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री तान्या मक्कर और राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस जमानत याचिका के माध्यम से आवेदक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 323, 324 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 73/2024 (एसटी संख्या 1169/2024) में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है। मामला गाजीपुर पुलिस स्टेशन, जिला फतेहपुर में दर्ज है। आवेदक 08.04.2024 से जेल में है।

आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2024 को खारिज कर दी गई थी।

मुकदमा जारी है। चश्मदीनों से अभी पूछताछ बाकी है। इस स्तर पर जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं बनता है।

मामले की खूबियों में जाए बिना, जमानत याचिका खारिज की जाती है।

आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री तान्या मक्कर ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे की कार्यवाही बहुत धीमी गति से चल रही है और इस न्यायालय के दिनांक 06.11.2024 के आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। यदि ऐसा है, तो अवर न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करना एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी जांच जिला न्यायाधीश और अवर न्यायालय दोनों को करनी होगी।

फतेहपुर के माननीय जिला न्यायाधीश और फतेहपुर के माननीय विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि इस न्यायालय के दिनांक 06.11.2024 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36064/2024 में मुकदमे को कानून के अनुसार शीघ्र समय सीमा में समाप्त करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



29 जनवरी 2026

आशीष त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।